न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 26 / 2020

1 जमन सिंह उम्र 74 वर्ष पुत्र छतुसिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मु0 कलावती आयु 49 वर्ष पुत्री जमनसिंह पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
2 पंजाब नेशनल बैंक शाखा चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक
20.02.2020 पास कर्दा न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी सूरजगढ़ बमुकदमा उनवानी कलावती
बनाम जमन सिंह वगैरह मुकदमा नम्बर 581 / 2013

उपस्थिति :

1. श्री प्रमोद पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप बिजारणीयां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

दिनांकः– 13.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 581/2013 में पारित निर्णय दिनांक 20.02.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पिलोद में छतुसिंह नामक व्यक्ति था। उक्त छतुसिंह के एक मात्र पुत्र संतान जमनसिंह हुआ। उक्त जमनसिंह के एक मात्र पुत्री वादीया कलावती हुई है। उक्त छतुसिंह का देहान्त अरसा करीब 30 वर्ष पूर्व हो गया। उक्त छतुसिंह के वारिसान में उसका पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 जमनसिंह व पौत्री वादीया कलावती हुए। यह कि ग्राम पिलोद की सरहद में जमीन गत खसरा नम्बर 158/2 रकबा 8 बीघा हाल खसरा नम्बर 294 रकबा 1.94 हैक्टेयर है। इस जमीन का खातेदार काश्तकार वादीया का दादा स्व0 छतुसिंह था व काबिज था। उक्त छतुसिंह ने उक्त भूमि तत्कालीन ठिकाना से बतौर टिनेन्ट प्राप्त की थी और ठिकाने के समय ठिकाना को बतौर टिनेन्ट लगान अदा करता था और ठिकाना खालसा होने के बाद राज्य सरकार को लगान बतौर टिनेन्ट अदा करता रहा व काबिज काश्तकार रहा। उक्त छतुसिंह के देहान्त हो जाने के बाद उक्त कृषि भूमि उत्तराधिकार में वादीया के पिता प्रतिवादी नम्बर 1 जमनसिंह को प्राप्त हुई इस प्रकार उक्त कृषि भूमि वादिया के पिता प्रतिवादी नम्बर 1 जमनसिंह को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई और वादिया उक्त छतुसिंह की पौत्री होने से व प्रतिवादी नम्बर 1 की पुत्री होने से पैतृक सम्पति होने जन्म से हिस्सा 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार हुई व है। वादिया व प्रतिवादी नम्बर 1 विवादित आराजियात अपना 1/2,1/2 हिस्सा शामिल में काश्त करते रहे है। वादिया अपना 1/2 हिस्सा कभी स्वंय काश्त कर लेती तथा कभी अपने पिता प्रतिवादी नम्बर 1 से काश्त करवा लेती थी। वादिया दिनांक 20.08.2006 को विवादित जमीन पर गई तो प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादिया को धमकी दी कि इस बार वादिया को हिस्से की 1/2 हिस्से की फसल को लाटेगा तथा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विवादित आराजियात को किसी व्यक्ति को विक्रय करेगा और वादिया को उसके हक हिस्से से वंचित करेगा। इस कारण वादिया को अपने हक को की रक्षार्थ यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ। दावा हाजा के लिए विनायमुखासमत माह जून में तब पैदा हुआ जब प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादिया को उसकों विवादित आराजियात में उसका हक हिस्सा होने से इन्कार किया व दिनांक 20.08.2006 को तब पैदा हुआ जब वादिया को प्रतिवादी नम्बर 1 ने विवादित आराजियात में उसके हक हिस्से से वंचित करने व विक्रय करने की धमकी दी तब पैदा हुआ। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 जमनसिंह अविवाहित था। प्रतिवादी संख्या 1 व छतुसिंह के वारिसान में वादिया कलावती नही है। ग्राम पिलोद की सरहद में जमीन गत खसरा नम्बर 158/2 रकबा 8 बीघा हाल खसरा नम्बर 294 रकबा 1.94 हैक्टेयर है। इस जमीन का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी नम्बर 1 का पिता छतुसिंह था व काबिज था छतुसिंह द्वारा उक्त भूमि तत्कालीन ठिकाना से बतौर टिनेन्ट प्राप्त करना व लगान अदा करना व छतुसिंह के देहान्त के पश्चात उक्त कृषि भूमि उत्तराधिकार में प्रतिवादी नम्बर 1 को प्राप्त होना स्वीकृत तथ्य है। वादयिा का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त होने का तथ्य किसी भी साक्ष्य से प्रमाणित नही है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी नम्बर 1 का विवाह नहीं हुआ था प्रतिवादी नम्बर 1 ने कुछ दिन एक स्त्री लिछमी को अपने घर में रखा था जो कुछ दिन बाद ही प्रतिवादी नम्बर 1 से लड़ झगड़कर प्रतिवादी नम्बर 1 से अलग रहने लगी थी, और प्रतिवादी नम्बर 1 ने उसे गुजर बसर करने हेतु अपनी जमीन में से आधी भूमि खसरा नम्बर 295 रकबा 2.02 हैक्टेयर देकर हमेशा के लिए अपने को अलग कर लिया। उक्त लिछमी ने कई वर्ष वाद प्रतिवादी नम्बर 1 से अलग रहते हुए कलावती

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

को जन्म दिया था वादिया कलावती प्रतिवादी नम्बर 1 के नुत्फे से पैदा नहीं हुई थी, इस कारण वादिया प्रतिवादी नम्बर 1 की वारिस नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 के विवेचन में केवल मात्र यह अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 यह साबित करने में असमर्थ रहा कि वादिया प्रतिवादी नम्बर 1 की पत्नी नही है। प्रदर्श पी–10 प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय पिलोद से यह साबित है कि वादिया जमन सिंह की पुत्री है। विचारण न्यायालय ने इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवेचन नही किया है। विधि अनुसार वाद साबित करने का भार वादिया पर था वादिया के कथन को साबित करने का भार प्रतिवादी अपीलांट पर नही था। प्रस्तुत प्रकरण में उत्तराधिकार को लेकर विवाद है। विधि अनुसार उत्तराधिकार के सम्बंध में निर्णय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। वादिया द्वारा उत्तराधिकार के सन्दर्भ में सक्षम न्यायालय ने वादिया द्वारा किसी प्रकार की चारा जोही नही की गई है। विधि में प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय पिलोद को वादिया का उतराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का कोई विधिक अधिकार नही है। केवल मात्र इस प्रदर्श 10 के आधार पर उत्तराधिकार तय नही किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय को उत्तराधिकार तय करने की अधिकारिता भी नही है। यहां यह भी विचारणीय है कि प्रदर्श पी–10 को जारी करने वाले व्यक्ति के विचारण न्यायालय में बयान नही करवाये गये। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय में संलग्न वादिया कलावती के बयान की पीडब्ल्यू–01 में स्वंय वादिया ने जिरह में स्वीकार किया है कि मै पढ़ना लिखना नही जानती ऐसी स्थिति में प्रदर्श पी–10 स्वतः संदिग्ध हो जाता है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद एवं शपथ पत्र में भी वादिया की अंगुठा निशानी है हस्ताक्षर नही है। ऐसी स्थिति में विद्यालय के दस्तावेज के आधार पर वाद वादी डिक्री किये जाने को विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादी ने अपना वाद दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित किया है वादी प्रतिवादी संख्या 1 की जायन्दा पुत्री है। प्रदर्श पी–10 से वादिया का वाद साबित है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 जमनसिंह अविवाहित था। प्रतिवादी संख्या 1 व छतुसिंह के वारिसान में वादिया कलावती नही है। ग्राम पिलोद की सरहद में जमीन गत खसरा नम्बर 158/2 रकबा 8 बीघा हाल खसरा नम्बर 294 रकबा 1.94 हैक्टेयर है। इस जमीन का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी नम्बर 1 का पिता छतुसिंह था व काबिज था छतुसिंह द्वारा उक्त भूमि तत्कालीन ठिकाना से बतौर टिनेन्ट प्राप्त करना व लगान अदा करना व छतुसिंह के देहान्त के पश्चात उक्त कृषि भूमि उत्तराधिकार में प्रतिवादी नम्बर 1 को प्राप्त होना स्वीकृत तथ्य है। वादयिा का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त होने का तथ्य किसी भी साक्ष्य से प्रमाणित नही है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी नम्बर 1 का विवाह नहीं हुआ था प्रतिवादी नम्बर 1 ने कुछ दिन एक स्त्री लिछमी को अपने घर में रखा था जो कुछ दिन बाद ही प्रतिवादी नम्बर 1 से लड़ झगड़कर प्रतिवादी नम्बर 1 से अलग रहने लगी थी, और प्रतिवादी नम्बर 1 ने उसे गुजर बसर करने हेतु अपनी जमीन में से आधी भूमि खसरा नम्बर 295 रकबा 2.02 हैक्टेयर देकर हमेशा के लिए अपने को अलग कर लिया। उक्त लिछमी ने कई वर्ष वाद प्रतिवादी नम्बर 1 से अलग रहते हुए कलावती को जन्म दिया था वादिया कलावती प्रतिवादी नम्बर 1 के नुत्फे से पैदा नहीं हुई थी, इस कारण वादिया प्रतिवादी नम्बर 1 की वारिस नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 के विवेचन में केवल मात्र यह अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 यह साबित करने में असमर्थ रहा कि वादिया प्रतिवादी नम्बर 1 की पत्नी नही है। प्रदर्श पी–10 प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय पिलोद से यह साबित है कि वादिया जमन सिंह की पुत्री है। विचारण न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवेचन नही किया है। विधि अनुसार वाद साबित करने का भार वादिया पर था वादिया के कथन को साबित करने का भार प्रतिवादी अपीलांट पर नही था। प्रस्तुत प्रकरण में उत्तराधिकार को लेकर विवाद है। विधि अनुसार उत्तराधिकार के सम्बंध में निर्णय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। वादिया द्वारा उत्तराधिकार के सन्दर्भ में सक्षम न्यायालय में किसी प्रकार की चारा जोही नही की गई है। विधि में प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय पिलोद को वादिया का उतराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का कोई विधिक अधिकार नही है। केवल मात्र इस प्रदर्श 10 के आधार पर उत्तराधिकार तय नही किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय को उत्तराधिकार तय करने की अधिकारिता भी नही है। यहां यह भी विचारणीय है कि प्रदर्श पी–10 को जारी करने वाले व्यक्ति के विचारण न्यायालय में बयान नही करवाये गये। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय में संलग्न वादिया कलावती के बयान की पीडब्ल्यू–01 में स्वंय वादिया ने जिरह में स्वीकार किया है कि मै पढ़ना लिखना नही जानती ऐसी स्थिति में प्रदर्श पी–10 स्वतः संदिग्ध हो जाता है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद एवं शपथ पत्र में भी वादिया की अंगुठा निशानी है हस्ताक्षर नही है। ऐसी स्थिति में विद्यालय के दस्तावेज के आधार पर वाद वादी डिक्री किये जाने को विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

डिक्री व सिगे अपील
आर्डर 41रूल 35 जाब्ता दीवानी
Civil Procedure Code Appendix "G"9
अज अदालत राजस्व अपील अधिकारी सीकर
बइजलास श्री राजवीर सिंह चौधरी आर.ए.एस

1 जमन सिंह उम्र 74 वर्ष पुत्र छतुसिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मु0 कलावती आयु 49 वर्ष पुत्री जमनसिंह पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
2 पंजाब नेशनल बैंक शाखा चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

नियमित अपील संख्या 26/2020 विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ बाबत रेवेन्यू दावा संख्या 581/2013 उनवानी कलावती बनाम जमन सिंह वगैरह।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राजवीर सिंह चौधरी आर.ए.एस. बहाजरी श्री प्रमोद पूनियां वास्ते अपीलार्थीगण एवं श्री संदीप बिजारणियां वास्ते रेस्पोडेंट।

हुक्म दिया जाता है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है।

डिक्री आज दिनांक 13.09.2021 को जारी की गई।

हस्ताक्षर

मोहर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

नियमित अपीलकार	रूपया	पैसे	गैरनियमित अपीलकार	रूपया	पैसे
स्टाम्प नियमित अपील		00	स्टाम्प कोस अपील		00
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प वकालतनामा		00
नियमित अपील हुकमनामा		00	नियमित अपील हुकमनामा		00
वकील फीस बाबत		00	मेहनताना अपील		00
मीजान			मीजान		

हस्ताक्षर

मोहर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)